

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

पत्रांक-प्र०2/बोर्ड विविध-21/2010(खंड-III)-
सेवा में,

/पटना, दिनांक-

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए "मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना" अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा माह अप्रैल, 2026 से मार्च, 2027 तक की अवधि के लिये प्रतिमाह 430.00 करोड़ (चार सौ तीस करोड़) रुपये की दर से कुल 5160.00 करोड़ (पाँच हजार एक सौ साठ करोड़) रुपये बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कम्पनी लिमिटेड को सीधे उपलब्ध कराने की स्वीकृत राशि के विरुद्ध माह जून, 2026 के लिए 430.00 करोड़ (चार सौ तीस करोड़) रुपये बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कम्पनी लिमिटेड को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश-स्वीकृत।

विभागीय राज्यादेश संख्या-2223 दिनांक-04.05.2026 द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए "मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना" अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा कुल 23165.00 करोड़ (तेईस हजार एक सौ पैसठ करोड़) रुपये अनुदान स्वरूप स्वीकृत करते हुए माह अप्रैल, 2026 से मार्च, 2027 तक की अवधि के लिये प्रतिमाह 1500.41 करोड़ (एक हजार पाँच सौ करोड़ इकतालीस लाख) रुपये की दर से कुल 18005.00 करोड़ (अठारह हजार पाँच करोड़) रुपये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से सीधे एन०टी०पी०सी०लि० को एवं शेष राशि 5160.00 करोड़ (पाँच हजार एक सौ साठ करोड़) रुपये उसी अवधि में प्रतिमाह 430.00 करोड़ (चार सौ तीस करोड़) रुपये की दर से बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कम्पनी लिमिटेड को सीधे उपलब्ध कराने की स्वीकृति तथा तत्काल माह अप्रैल, 2026 से माह सितम्बर, 2026 तक प्रति माह 1500.41 करोड़ (एक हजार पाँच सौ करोड़ इकतालीस लाख) रुपये की दर से कुल 9002.46 करोड़ (नौ हजार दो करोड़ छियालीस लाख) रुपये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से सीधे नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (एन०टी०पी०सी०) को भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु माह अप्रैल 2026 के लिए 430.00 करोड़ रुपये एवं माह मई, 2026 के लिए 430.00 करोड़ रुपये अर्थात् कुल 860.00 करोड़ रुपये बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कम्पनी लिमिटेड को उपलब्ध कराया गया है। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु पूर्व में उपलब्ध कराये गये राशि के अतिरिक्त माह जून, 2026 के लिए 430.00 करोड़ (चार सौ तीस करोड़) रुपये बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कम्पनी लिमिटेड को उपलब्ध कराया जाना है।

2. उक्त आलोक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए "मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना" अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा माह अप्रैल, 2026 से मार्च, 2027 तक की अवधि के लिये प्रतिमाह 430.00 करोड़ (चार सौ तीस करोड़) रुपये की दर से कुल 5160.00 करोड़ (पाँच हजार एक सौ साठ करोड़) रुपये बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कम्पनी लिमिटेड को सीधे उपलब्ध कराने की स्वीकृत राशि के विरुद्ध माह जून, 2026 के लिए 430.00 करोड़ (चार सौ तीस करोड़) रुपये बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कम्पनी लिमिटेड को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि बजट मांग संख्या-10, मुख्य शीर्ष, 2801-विद्युत-उप मुख्य शीर्ष-80-सामान्य लघु शीर्ष-190-सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को सहायता, उपशीर्ष-0004-बिहार स्टेट पावर (हो0) कं0 लि0 विपत्र कोड-10-28018019000004 विषय शीर्ष-33.01 सब्सिडी के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
4. इस राशि की निकासी उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा CFMS के माध्यम से सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर इसका भुगतान बिहार स्टेट पावर (हो0) कं0 लि0 को भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा, सिंचाई भवन, पटना चालू खाता संख्या-10839114909 एवं IFSC Code-SBIN0000153 में की जायेगी।
5. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-7355 दिनांक-05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
6. उक्त प्रस्ताव की स्वीकृति हेतु मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन संचिका संख्या-प्र02/बोर्ड विविध-21/2010(खंड-III) के पृष्ठ संख्या-133/टि0 पर दिनांक-29.04.2026 को प्राप्त है।
7. राज्यादेश पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-प्र02/बोर्ड विविध-21/2010(खंड-III) के पृष्ठ संख्या-155/टि0 पर दिनांक-18.06.2026 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(सुधा गुप्ता)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-प्र02/बोर्ड विविध-21/2010(खंड-III)-

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-प्र02/बोर्ड विविध-21/2010(खंड-III)- 3464 /पटना, दिनांक- 22.06.2026

प्रतिलिपि:-वित्त विभाग, बजट शाखा/अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (हो0) कं0 लि0/प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0, पटना/प्रबंध निदेशक, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0, पटना एवं आईटी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।